

## कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा, औरैया

पत्र संख्या- 438 /निविदा सू-2019/अछल्दा

दिनांक-

02, दिसम्बर  
नवम्बर, 2019

## ई-निविदा सूचना

शासनादेश संख्या- 3890/नौ-5-19-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ दिनांक: 20सितम्बर, 2019 के अनुपालन में समस्त ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर पंचायत अछल्दा (औरैया) में चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्ययोजना की धनराशि से प्रस्तावित निम्नोक्त निर्माण कार्य हेतु ई-प्रोक्योमेंट/ई-टेण्डर के माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र की एवं धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से नगर पंचायत अछल्दा (औरैया) का पंजाब नेशनल बैंक, शाखा अछल्दा (औरैया) में संचालित खाता संख्या- 7998000100065612 ( IFSC Code.PUNB 0799800) पर भुगतान कर उसकी रसीद की मूल प्रति संलग्न कर बेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से दिनांक: 04/12/2019 से प्रातः 10.00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाइन निविदा दिनांक: 04/12/2019 को अपराह्न 12.00 तक डाली जा सकती है, जो उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

कार्य से सम्बन्धित आगणन स्पेशीफिकेशन व निविदा सम्बन्धी अन्य शर्तें किसी भी समय कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है, रू0 100.00 (रूपया एक सौ मात्र) के स्टाम्प पर नोटरी हलफनामा निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यों की निविदा की सूचना जनपद औरैया की बेबसाइट [www.auraiya.up.nic.in](http://www.auraiya.up.nic.in) पर भी प्राप्त की जा सकती है। कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	निर्माण कार्य/कय किये जाने वाली प्रस्तावित सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी०एस०टी० 18%	निर्धारित 10 प्रति० ऑनैष्ट मनी की धनराशि	कार्य करने की निर्धारित अवधि
1	मुहल्ला पुराना अछल्दा में श्री तुलसीराम के मकान से श्री हरेन्द्र सविता के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण	4.64	500+90=590.00	46,400.00	20 दिन
2	श्री गमा देवी से श्री महेश प्रजापति के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण मुहल्ला बोडेपुर।	2.77	300+54=354.00	27,700.00	20 दिन
3	मुहल्ला हरीगंज में अछल्दा-फफून्द मार्ग के पूर्वी ओर में रेलवे फाटक से श्री चन्द्रमोहन की दुकान तक बन्द नाली का निर्माण कार्य।	2.91	300+54=354.00	29,100.00	20 दिन
4	श्री राजेन्द्र सिंह यादव के मकान से श्री बेदप्रकाश यादव के मकान तक (मु० हरीगंज) नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण।	5.04	500+90=590.00	50,400.00	20 दिन
5	अछल्दा-बिधूना मार्ग पर पुराना अछल्दा के सामने श्री दीपू मिश्रा से हनुमान मन्दिर के सामने तक आर०सी०सी० नाले का निर्माण कार्य	3.18	300+54=354.00	31,800.00	20 दिन
6	अछल्दा-बिधूना मार्ग पर पुराना अछल्दा के सामने श्री हनुमान मन्दिर के सामने पुलिया से अहनैया नदी तक	4.38	500+90=590.00	43,800.00	20 दिन

	आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य				
7	श्री अर्जुन राजपूत के मकान से नगरिया रोड तक बनी पुलिया तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य	4.38	<b>500+90=590.00</b>	<b>43,800.00</b>	20 दिन
8	सब्जी मण्डी गट से नहर पुल तक इण्टरलाकिंग फुटपाथ का निर्माण।	6.40	<b>700+126=826.00</b>	<b>64,000.00</b>	20 दिन
9	श्री मुकेश सोनी से नहर पुल तक इण्टरलाकिंग फुटपाथ का का निर्माण कार्य मुहल्ला नहर बाजार।	7.88	<b>800+144=944.00</b>	<b>78,800.00</b>	20 दिन
10	श्री मुन्ना के मकान से श्री इन्द्रपाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण मुहल्ला हरीगंज।	2.99	<b>300+54=354.00</b>	<b>29,900.00</b>	20 दिन
11.	श्री विजय बाथम के मकान से श्री राजेश पाण्डेय के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण मुहल्ला हरीगंज।	5.24	<b>500+90=590.00</b>	<b>52,400.00</b>	20 दिन
12.	मुहल्ला नहर बाजार में श्री रवि शर्मा के मकान से पसैया रोड तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण	6.31	<b>700+126=826.00</b>	<b>63,100.00</b>	20 दिन
13.	श्री भूरे खां के मकान से श्री सुभाष यादव के प्लाट तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण मुहल्ला हरीगंज।	2.99	<b>300+54=354.00</b>	<b>29,900.00</b>	20 दिन
14.	श्री जयविलास बाथम के मकान से श्री रामलाल के मकान होते हुये इनायतपुर जाने वाली सड़क तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण मुहल्ला हरीगंज।	23.57	<b>2500+450= 2950.00</b>	<b>2,35,700.00</b>	20 दिन
15.	मुहल्ला नेविलगंज में श्री अजय यादव के मकान के बगल से स्थित गली श्रीमती अर्चना देवी होते हुये श्री सहदेव सिंह के पीदे तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	14.47	<b>1500+270= 1770.00</b>	<b>1,44,700.00</b>	20 दिन
16.	मुहल्ला बोड़ेपुर में श्री सरनाम पाल के मकान से श्री भूरे सविता तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	3.79	<b>400+72=472.00</b>	<b>37,900.00</b>	20 दिन
	<b>योग—</b>	<b>96.05</b>	<b>10,100+1,818=11,918</b>	<b>9,60,500.00</b>	—


( कृष्ण प्रताप सरल )  
अधिसाषी अधिकारी  
नगर पंचायत अछल्दा  
औरैया


( राजेशकुमार )  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत अछल्दा  
औरैया

पत्र संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- 1. बेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड हेतु।

2. समाचार पत्र समर अज्ञान व वैशिक भागण को सूचना समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
3. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, औरैया की सेवा में जनपद की बेवसाइट पर सूचना प्रकाशन हेतु।
4. अवर अभियन्ता, सार्व0लो0नि0वि0 औरैया अधिकृत नगर पंचायत अछल्दा, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा के सूचनापट पर चस्पा हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

  
( कृष्ण प्रताप सरल )  
अधिसाधी अधिकारी  
नगर पंचायत अछल्दा  
(औरैया)

  
( राजेशकुमार )  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत अछल्दा  
औरैया

## कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा, औरैया

—: निविदा की अन्य शर्तें :-

9. समस्त निविदा दाताओं को निविदा की तकनीकी बिड के साथ आवश्यक स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र यथा— जी0एस0टी0, आयकर , चरित्र, हँसियत, एवं श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा, तथा तकनीकी बिड का पृथक से लिफाफा कार्य का क्रमांक व नाम अंकित करते हुये तथा RTGS/NEFT द्वारा जमा निविदा शुल्क एवं जमानत राशि की रसीद मय कार्य विवरण सहित संलग्न तैयार कर बिड खुलने से पूर्व कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. सम्बन्धित कार्य की जमानत राशि 10% नगरपंचायत अछल्दा (औरैया) के पंजाब नेशनल बैंक शाखा अछल्दा में खुले खाते में जमा करना अनिवार्य होगा जो धनराशि आबंटन शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अधीन बंधक रहेगी।
9. निविदादाता का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य होगा।
9. राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति अधिवक्ता अधिनियम में नहीं है। अतएव किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी का कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
9. बिना किसी कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को अस्वीकृत का कारण पूछने का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. निविदा स्वीकृत के उपरान्त ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर नगर पंचायत के पक्ष में ठेके का अनुबन्ध कराते हुये निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
9. आम जनता की जानकारी हेतु कार्य प्रारम्भ कराते समय ठेकेदार को सर्वप्रथम निर्माणाधीन स्थल पर योजना का नाम, कार्य का विवरण, स्वीकृत लागत, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि तथा समाप्त होने की सम्भावित तिथि अंकित कराते हुये एक साइन बोर्ड लगवाना अनिवार्य होगा।
9. गुणवत्ता की तकनीकी जांचोपरान्त ही कार्य स्वीकार किया जावेगा और आवश्यकतानुसार ठेकेदार जांच कराने के लिये बाध्य रहेगा।
9. यदि निविदादाता ठेकेदार निर्धारित मानक के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो भा0द0 संहिता के अन्तर्गत अपराध माना जावेगा तथा ठेकेदार के विरुद्ध भा0द0संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कीजावेगी।
9. निविदादाताओं के निविदा में जो पता अंकित मिलेगा, वही मान्य होगा और इस पते पर भेजी गयी डाक यदि किसी कारणवश डाकखाने से उसे वितरित नहीं हो पाती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी तथा वह वितरित मानी जावेगी।
9. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत राशि नगर पंचायत अछल्दा (औरैया) के पक्ष में जब्त करते हुये निविदा निरस्त की जा सकेगी।
9. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई भी निविदा न तो बेंची जावेगी और न ही प्राप्त की जावेगी।
9. एकल निविदा एवं सशर्त निविदा स्वीकार्य न होगी।
9. निविदा के साथ रू0 100.00 (रू0 एक सौमात्र) के स्टाम्प पेपर परनोटरी शपथपत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. सभी प्रकार की स्वीकृतियाँ (यथा आगणन, निविदा व बिल भुगतान आदि) पारित करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी को होगा।
9. प्रत्येक निविदादाता अपनी दरें सभी आइटमों पर औसत प्रतिशत के आधार पर देंगे।
9. यदि न्यूनतम निविदादाता निविदा स्वीकृति के उपरान्त बाँछित औपचारिकताएँ यथा जमानत राशि जमा करने व अनुबन्ध कराने के साथ—2 समय से कार्य कराने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
9. प्रथम न्यूनतम निविदादाता के विफल होने की दशा में द्वितीय निविदादाता के पक्ष में उसकी सहमति के आधार पर निविदा स्वीकृत की जा सकती है और उसके भी असफल/असहमत होने कीदशा में तृतीय न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में उसकी सहमति के आधार पर निविदा स्वीकृत कीजा सकती है और प्रक्रिया अन्तिम निविदादाता तक चलेगी अथवा दुवार निविदा आमन्त्रित किये जा सकेंगें।
9. कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार की कोई भी शर्त मान्य न होगी।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी/अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत अछल्दा (औरैया) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
9. कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूट-फूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
9. योजनान्तर्गत शासनदेश में वर्णित समस्त शर्तों व नियम का पालन करने हेतु ठेकेदार पूर्ण रूप से बाध्य होगा।

( कृष्ण प्रताप सरल )  
अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत अछल्दा  
औरैया

( राजेश कुमार )  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत अछल्दा  
औरैया